उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-98/2017/3928/92-1-2017-131आरईएस/2008
लखनऊ: दिनांक: 07 नवम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

श्री अब्दुल मुईन खॉ, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, एटा को उनके कनिष्ठ की अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 27-10-2017 से अधिशासी अभियंता (वेतनमान रू0-15600-39100, ग्रेड पे-6600/-, वेतन बैण्ड-3,) (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर नोशनल पदोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री अब्दुल मुईन खॉ को अनुमन्य वेतन/महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते शासन द्वारा समय- समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुसार देय होंगे।

3- उक्त पदोन्नति, मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका सं0-31120/2016 राशिमणि मिश्रा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका सं0-45(एसबी)/2017 योगेन्द्र नारायण चौधरी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी ।

4- अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के उपरान्त श्री अब्दुल मुईन खॉ को पी0आई0यू0-एटा में रिक्त अधिशासी अभियंता के पद पर तैनात करते हुये प्रखण्ड-एटा के अधिशासी अभियंता का अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया जाता है। श्री अब्दुल मुईन खॉ को प्रखण्ड-एटा के अतिरिक्त कार्यभार हेतु कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ता आदि देय नहीं होगा। श्री खॉ अपनी वर्तमान तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध करायेंगे।

5- कार्यालय-ज्ञाप सं0-75/2017/2160/92-1-2017-08(अधि0)/2017, दिनांक 26-7-2017 द्वारा श्री मो0 अकरम, अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-हाथरस को प्रखण्ड/पी0आई0यू0-एटा को अधिशासी अभियंता का दिया गया अतिरिक्त प्रभार तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-98/2017/3928(1)/92-1-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
7- संबंधित अधिशासी अभियंतागण द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
9- कम्प्यूटर अंकन प्रति/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in